न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं० BR-01PE-0863.

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–**28/2017–18**, राज्य बनाम सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं०– BR-01PE-0863

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 2623/हि०शा० दिनांक 29.07.2017 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव सोनवर्षा राज थाना कांड संख्या– 100/2017, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं० BR-01PE-0863. के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित है कि– "यह कांड वादी पु०अ०नि० मो० इजहार आलम थानाध्यक्ष सोनवर्षा राज के स्वयं लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त (1) मो० अंशुल पिता– मो० अली हसन, साकिन– गंगजला वार्ड नं०– 15, गाड़ी का चालक (2) सतीश साह पिता– योगी साह (3) मो० नुरो पिता– मो० युसुफ दोनों साकिन– गंगजला (4) मो० नताप पिता– मो० डोमी साकिन– सिमराहा सभी थाना– सदर, जिला– सहरसा के विरूद्ध सुमो विक्टा गाड़ी नं०– BR-01PE-0863 के पिछले हिस्सा में अंग्रेजी दारू पीने अथवा बेचने हेतु रखने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। उक्त सुमो विक्टा गाड़ी के पिछले हिस्सा से 15 कार्टुन ROYAL STAG अंग्रजी शराब प्रत्येक कार्टुन में 24 अदद बोतल, प्रत्येक बोतल 375 ML का प्रत्येक बोतल पर Royal Stag Premier Whisky For Sale In Jharkhand Only Batch No RSP 0039 MIG Date 12.07.17 लिखा हुआ बरामद किया गया तथा जप्ती सूची बनाकर उक्त सुमो विक्टा गाड़ी एवं शराब जप्त कर थाना मालखाना एवं थाना परिसर में रखा गया है। जप्त शराब में से 04 बोतल जांच	

कराने हेतु भेजा जाना है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। कांड में जप्त शराब का जांच कराने का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त हो चुका है।''

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त वाहन सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं० BR-01PE-0863. के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक अरूण कुमार पिता– शिव लाल यादव, साकिन– मृत्युजंयपुर, थाना– बहेरी, जिला– दरभंगा उपस्थित हुए। उनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 15166/2018 में पारित आदेश की प्रति के साथ पारित आदेश के आलोक में Bank Guarantee के आधार पर जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया। वाहन मालिक के ओर से दाखिल Bank Guarantee के आधार पर जप्त वाहन को मुक्त करने के संबंध में दिनांक 11.10.18 को आदेश पारित किया गया।

वाहन मालिक द्वारा पुनः 17.03.2020 को अपना लिखित पक्ष दाखिल करते हुए कहना है कि उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज सोनवर्षा राज थाना कांड संख्या– 100/2017 में वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। वास्तविकता यह है कि वे जप्त वाहन सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं० BR-01PE-0863. के स्वामी हैं। उनकी उक्त गाड़ी गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से दिनांक 31.05.2017/01.06.2017 के रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा चुरा लिया गया था। इस संबंध में इनके ओर से गर्दनीबाग थाना में दिनांक 01.06.2017 को कांड संख्या 198/2017 दर्ज कराया गया। पुनः उक्त चोरी हुए गाडी को थानाध्यक्ष सोनवर्षा राज द्वारा चालक मो० अंशुल पिता मो० अली हसन, साकिन– गंगजला, वार्ड नं० 15 सहरसा व शराब के कुछ कार्टुन के साथ जप्त कर सोनवर्षा राज थाना में कांड संख्या 100/17 अंकित किया गया। इनकी उक्त घटनाक्रम में संलिप्तता या जप्त शराब से कोई संबंध नहीं है।

वाहन मालिक द्वारा आगे कहना है कि इस प्रकार इस मामले में निर्दोष होने के बाद भी जप्त वाहन को लेकर एक बड़ी राशी बैंक गारंटी के रूप में रखी हुई है। अतः मामले के त्वरीत निष्पादन हेतु इनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 18594/2019 दायर किया गया जिसके अन्तर्गत इस वाद को एक माह में निष्पादित किये जाने का आदेश दिया गया है। इनके ओर से मुख्यतः इसी के साथ जल्द से जल्द वाद को निष्पादित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) के ओर से पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन के आलोक में बिहार

मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि उक्त वाहन दिनांक 01.06.2017 को चोरी हो गयी थी, जिसके विरूद्ध गर्दनीबाग थाना में कांड संख्या 198/2017 दर्ज है। उक्त चोरी की गयी वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था जिसे सोनवर्षा थाना द्वारा जप्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि वाहन मालिक का उक्त अवैध शराब परिवहन से कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को अधिग्रहण करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जप्त वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 15166/2018 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जप्त वाहन को औपबंधित रूप से मुक्त किये जाने हेतु वाहन के विमाकृत मूल्य मो० 3,54,857/–(तीन लाख चौवन हजार आठ सौ सनतावन रूपया) का बैंक गारंटी का दस्तावेज, जो स्टेट बैंक इंडिया, हाजीपुर शाखा से जारी है, वाहन मालिक द्वारा दाखिल किया गया और उक्त के आधार पर वाहन को औपबंधिक रूप से दिनांक 10.11.2018 को मुक्त करने का आदेश दिया गया। चूँकि इस आदेश द्वारा वाहन को उक्त वर्णित मामले में स्थायी तौर पर मुक्त किया जा रहा है। इसलिए बैंक गारंटी सुरक्षित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः बैंक गारंटी के राशि को इस प्रक्रिया से मुक्त किया जाता है।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ....२१५........../न्याया०, सहरसा, दिनांक ....03........जुलाई, 2020।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।